न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
34/22	26.05.2022	08/11/2023

1. बद्रीलाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. रामकरण पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. धीरेन्द्र कुमार पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के माल में खसरा संख्या 81/163 रकबा 1.60है0 कृषि भूमि स्थित है, जिसे आगे शपथ पत्र में विवादित भूमि कहा गया है। भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13/12/2000 को गत खातेदार ब्रजमोहन पुत्र रामप्रताप जाति कलाल निवासी पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 से हिस्सा बांट वरावर में खरीदी गई थी, जो उपपंजीयक पीपल्दा के समक्ष दिनांक 13/12/2000 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 45 क्रम संख्या 1090 पृष्ट संख्या 1581 से 1587 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। उक्त भूमि क्रय करने के इंतकाल संख्या 101 से उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम–1 के नाम दर्ज कर दी गई तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 विवादित भूमि पर हिस्सा 1/3–1/3–1/3 के अनुसार मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं। तहसील पीपल्दा में किये गये सेग्रीग्रेशन कार्य से पूर्व विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम–2 द्वारा त्रुटिपूर्वक कार्य करते हुए प्रतिवादी क्रम–1 को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

सहखातेदार बना दिया तथा वादीगण को 1/4–1/4 हिस्से का सहखातेदार बना दिया, जो कि त्रुटिपूर्ण होने से दुरुस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी कम 2 को कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नही था कि वह विवादित भूमि में उक्तानुसार त्रुटि कारित करे। अतः उपरवर्णितानुसार वादीगण को विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय समक्ष न्यायालय की सहायता से विवादित भूमि में स्वयं का 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज करावें। तदर्थ श्रीमान की सेवा में वाद पत्र प्रस्तुत है। मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाईन जमाबन्दी 2073–2076 प्रदर्श पी–1 ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा खाता संख्या 29 प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा खाता संख्या 52 प्रदर्श पी–2 ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा खाता संख्या 30 प्रदर्श पी–3 पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 13/12/2000 प्रदर्श पी–4 है जिसकी फोटो कॉपी प्रदर्श पी–4ए है। जिन्हें आज प्रदर्शित कर रहा हूँ।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण को ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के माल में खसरा संख्या 81/163 रकबा 1.60है0 भूमि 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे तथा प्रतिवादी कम 1 को इस आशय की निषेधाज्ञा से निर्देशित किया जावे कि वादीगण को कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन की गई। प्रतिवादी कम 1 की ओर से श्री जितन्द्र शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा एवं इकबाली जवाब पेश किया गया। वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी कम 2 को भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रतिवादी कम 2 के जवाब की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्यवादी में वकील वादीगण द्वारा रामकरण का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रकरण में और साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्यवादी बंद की जाती है। प्रकरण में प्रतिवादी कम–1 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया है। साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण को ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के माल में खसरा संख्या 81/163 रकबा 1.60है0 भूमि में 123–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण अपनी बहस में अवगत करवाया की प्रकरण में इकबाली जवाव पेश किया हुआ है मुताबिक जवाब वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के माल में खसरा संख्या 81/163 रकबा 1.60है0 भूमि में 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस वकील एवं तर्कों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के माल में खसरा संख्या 81/163 रकबा 1.60 है0 भूमि में वादी कम 1, 2 तथा प्रतिवादीगण कम 1 को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजीयात् में रहन भार दर्ज है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

1. बद्रीलाल पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. रामकरण पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. धीरेन्द्र कुमार पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी पीपल्दा कलां तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 आरटीएक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुददई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम रोहली पटवार हलका डूंगरली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 के माल में खसरा संख्या 81/163 रकबा 1.60है0 उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। भूमि में वादी क्रम 1, 2 तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजीयात् में रहन भार दर्ज है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। यदि विवादित आराजीयात् में रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी

डिकी मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 03/01/2023 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा
इटावा